संक्षिप्त समाचार

मवेशी तस्करी का बड़ा रैकेट नाकाम 5 गिरफ्तार

कोरबा। पाली थाना क्षेत्र के बतरा गांव के भदरापारा में मवेशी तस्करी की बड़ी कोशिश को नाकाम कर दिया गया। ग्रामीणों की सूचना पर पुलिस ने 28 मवेशी बरामद किए और मुख्य आरोपी रहमद खान समेत 5 लोगों को गिरफ्तार किया। टावर मोहल्ला पाली निवासी विजय नेताम को स्थानीय ग्रामीणों ने संदिग्ध गतिविधियों की सूचना दी। विजय नेताम ग्रामीणों के साथ मौके पर पहुंचे और पांच तस्करों को पकड़ लिया (कुछ अन्य फरार हो गए)। जंगल में पेड़ों से बंधे 28 मवेशी मिले, जिन्हें भूखा-प्यासा रखा गया था पुलिस ने 28 मवेशी (अनुमानित कीमत ?84 हजार) बरामद कर एक स्थानीय ग्रामीण की सुपुर्दगी में रखे।

महंगाई के खिलाफ कांग्रेस का प्रदर्शन

कोरबा। पेट्रोल-डीजल की बढ़ती कीमतों और ईंधन संकट के विरोध में कांग्रेस पार्टी ने जोरदार प्रदर्शन किया। छत्तीसगढ़ प्रदेश कांग्रेस कमेटी के निर्देश पर जिला कांग्रेस कमेटी कोरबा (ग्रामीण) ने रामपुर विधानसभा क्षेत्र के ग्राम कोटमेर स्थित एक पेट्रोल पंप के सामने धरना प्रदर्शन किया। धरना दोपहर 12 बजे शुरू हुआ, जिसमें बड़ी संख्या में कांग्रेस कार्यकर्ता शामिल हुए।

रोहन ने पाई बीएससी एग्रीकल्चर की उपाधि

मस्तूरी/मल्हार। प्रगतिशील कृषक दंपत्ति दिव्या जदुनंदन वर्मा के पुत्र रोहन कुमार वर्मा ने कृषि शिक्षा के क्षेत्र में एक बड़ी उपलब्धि हासिल कर अपने

माता-पिता सहित पूरे नगर का नाम गौरवान्वित किया है। रोहन कुमार वर्मा ने बीएससी एग्रीकल्चर ऑनर्स की परीक्षा में 71.10 प्रतिशत अंक प्राप्त कर प्रथम श्रेणी में यह उपाधि हासिल की है।? गत 15 मई को इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय रायपुर में आयोजित गरिमामय कार्यक्रम के दौरान विश्वविद्यालय के कुलपति डॉ गिरीश चंदेल ने यह उपाधि प्रमाण पत्र प्रदान किया गया।

[काम हो रहा प्रभावित] टी.पी. नगर स्थित इंदिरा विहार कॉलोनी में बिजली कटौती अब रोज का खेल

मौसम खराबी के नाम पर बिजली की आंख-मिचौली से स्थानीय लोग परेशान

स्वदेश समाचार ■ कोरबा

टी.पी. नगर स्थित इंदिरा विहार कॉलोनी में पिछले कुछ समय से लगातार हो र ही अघोषित बिजली कटौती और बिजली की आंख-मिचौली से स्थानीय निवासी बेहद परेशान हैं।

समस्या से तंग आकर %इंदिरा विहार विकास समिति% के पदाधिकारियों और कॉलोनी वासियों ने सोमवार को तुलसी नगर फीडर के एसी. को एक ज्ञापन सौंपकर व्यवस्था सुधारने की मांग की है। सौंपे गए ज्ञापन में निवासियों ने बताया कि इंदिरा विहार टी.पी. नगर में बिजली की स्थिति बेहद दयनीय हो चुकी है। जरा सी भी तेज हवा चलने, बिजली गरजने या मामूली बारिश होने पर भी कॉलोनी की बिजली तुरंत गुल हो जाती है।

सौतेले व्यवहार का लगाया आरोप

स्थानीय नागरिकों का आरोप है कि बिजली बंद होने के बाद जब आसपास के अन्य क्षेत्रों की विद्युत आपूर्ति बहाल कर दी जाती है, तब भी इंदिरा विहार को छोड़ दिया जाता है। पूरे क्षेत्र में सबसे अंत में इस कॉलोनी की बिजली वापस आती है। लंबे समय तक बिजली न रहने के कारण बच्चों की पढ़ाई और रोजमर्रा के काम पूरी तरह प्रभावित हो रहे हैं। निवासियों ने आक्रोश व्यक्त करते हुए कहा कि ऐसा प्रतीत होता है जैसे विद्युत विभाग द्वारा उनके साथ सौतेला व्यवहार किया जा रहा है।

ठोस कार्रवाई की मांग

इंदिरा विहार विकास समिति के अध्यक्ष मनोज कुमार अग्रवाल, कोषाध्यक्ष पंकज अग्रवाल और सचिव मनोज अग्रवाल के नेतृत्व में कॉलोनी वासियों ने बिजली विभाग से इस दिशा में तुरंत ध्यान देने का आग्रह किया है। उन्होंने मांग की है कि भविष्य में इस तरह की बार-बार होने वाली कटौती पर रोक लगाई जाए और फॉल्ट की समस्या को हमेशा के लिए दूर करने के लिए ठोस और प्रभावी कार्रवाई की जाए। ज्ञापन सौंपने के दौरान योगेश जैन, तुषार, हरीश अग्रवाल, मुकेश, राजकुमार अग्रवाल, अरुण अग्रवाल सहित बड़ी संख्या में इंदिरा विहार के निवासी उपस्थित थे और सभी ने हस्ताक्षर कर अपना विरोध दर्ज कराया।

[मांग हुई पूरी] जिला प्रशासन और बालको के साझा प्रयास से बदलेगी परसाभाठा मार्ग की सूरत

विकास को मिलेगी रफ्तार, बजरंग चौक से रिसदा पुल तक बनेगी फोर-लेन रोड

■ **बेलगिरी और रिसदा पुल का भी होगा कायाकल्प**

स्वदेश समाचार ■ बालाको नगर

कोरबा जिले के औद्योगिक और ग्रामीण क्षेत्रों में सुगम यातायात और बेहतर कनेक्टिविटी सुनिश्चित करने की दिशा में जिला प्रशासन और भारत एल्यूमिनियम कंपनी लिमिटेड (बालको) ने एक और बड़ा कदम उठाया है। क्षेत्रवासियों की बेहद महत्वपूर्ण और पुरानी मांग को पूरा करते हुए बजरंग चौक से रिसदा पुल (परसाभाठा मार्ग) के उन्नयन और चौड़ीकरण कार्य को हरी झंडी दे दी गई है। बालको इस पूरी विकास परियोजना में जिला प्रशासन के साथ सहयोगी भागीदार के रूप में कंधे से कंधा मिलाकर काम कर रहा है।

टू-लेन कोलतार से अब फोर-लेन सीसी रोड का सफर

वर्तमान में यह मार्ग टू-लेन का है और कोलतार (डामर) से बना हुआ है, जिससे भारी और हल्के वाहनों के दबाव के कारण अक्सर यातायात बाधित होता था। अब इस पूरी परियोजना के अंतर्गत इसे आधुनिक फोर-लेन सीमेंट कंक्रीट (सीसी) सड़क में तब्दील किया जाएगा। इस हाई-टेक सड़क के मध्य में सुंदर डिवाइडर, रात के सफर को सुरक्षित बनाने के लिए आधुनिक स्ट्रीट लाइटिंग और पानी निकासी के लिए सुव्यवस्थित ड्रेनेज सिस्टम (नाली निर्माण) सहित अन्य आवश्यक नागरिक सुविधाओं का विकास किया जाएगा।

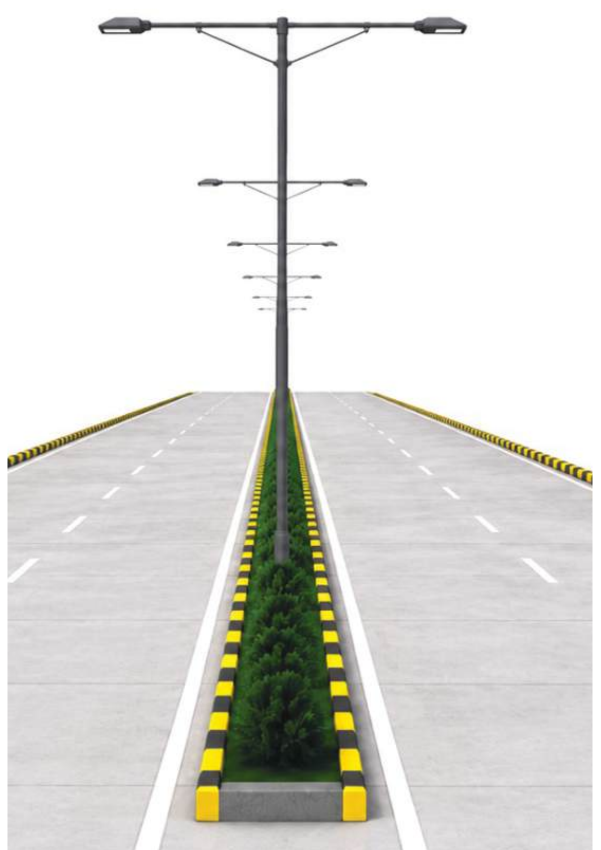

साझेदारी से निखर रहा है बालकोनगर का स्वरूप

गौरतलब है कि पिछले वर्षों में भी जिला प्रशासन के मार्गदर्शन में बालको ने लालघाट सड़क, बजरंग चौक से रेलवे क्रॉसिंग तक और बालको थाना से सेक्टर-4 वन विभाग बैरियर तक सड़क नवीनीकरण के बड़े काम किए हैं। इसके अलावा यातायात को व्यवस्थित करने के लिए एल्यूमिना गेट (दोपहिया), कोल गेट (कोयला ट्रक) और फ्लाई ऐश पॉन्ड क्षेत्र में भारी वाहनों के लिए आधुनिक पार्किंग का निर्माण कराया गया है। ?वर्तमान में नेहरू पार्क, बालको स्टेडियम, अत्याधुनिक बालको अस्पताल, चौड़ी सड़कें, फुटपाथ, फॉरेस्ट वॉक-वे, जुबली पार्क का सौंदर्यीकरण और नया इंडियन कॉफी हाउस जैसी नागरिक सुविधाएं बालकोनगर को एक समृद्ध और आधुनिक टाउनशिप का रूप दे रही हैं, जिससे स्थानीय नागरिकों का जीवनस्तर लगातार बेहतर हो रहा है।

बेलगिरी और रिसदा पुल की होगी मरम्मत

सड़क निर्माण के साथ-साथ आम जनता के सुलभ और सुरक्षित आवागमन के लिए बेलगिरी एवं रिसदा पुल के जीर्णोद्धार व मरम्मत का कार्य भी बालको के वित्तीय सहयोग से जिला प्रशासन द्वारा किया जाएगा। इस निर्माण और सुधार कार्य से क्षेत्र में लगने वाले लंबे ट्रैफिक जाम से मुक्ति मिलेगी और सड़क दुर्घटनाओं में भारी कमी आएगी। गुणवत्ता और समय सीमा को ध्यान में रखते हुए इस पूरी परियोजना का क्रियान्वयन सीधे जिला प्रशासन की देखरेख में किया जाएगा।

भारतमाला परियोजना से जुड़ेगा यह मुख्य मार्ग

यह मार्ग सिर्फ शहरी नहीं, बल्कि ग्रामीण अर्थव्यवस्था की भी लाइफलाइन है। यह सड़क परसाभाठा, नेहरू नगर, भद्रापारा सहित आसपास की बड़ी आबादी को आपस में जोड़ती है। साथ ही, यह जामबहार को रूमगरा से जोड़ते हुए बालकोङ्गकोरबा और बालको-कटघोरा के बीच एकमात्र मुख्य संपर्क मार्ग है। भविष्य में यह मार्ग सीधे भारत सरकार की महत्वाकांक्षी 'भारतमाला परियोजना' से भी जुड़ेगा, जिससे देशव्यापी कनेक्टिविटी मजबूत होगी।

तहसील कार्यालय पहुंचा रिटायर्ड शिक्षक बेहोश होकर गिरा, मौत

■ **अस्पताल पहुंचने से पहले टूटी सांसें**

स्वदेश समाचार ■ रायगढ़

रायगढ़। शहर के कोतरारोड थाना क्षेत्र के उच्चभट्ठी निवासी 71 वर्षीय रिटायर्ड शिक्षक जवाहर लाल चौधरी की सोमवार को तहसील कार्यालय परिसर में अचानक तबीयत बिगड़ने से मौत हो गई। घटना के बाद तहसील कार्यालय में कुछ देर के लिए हड़कंप की स्थिति निर्मित हो गई। जानकारी के अनुसार जवाहर लाल चौधरी सोमवार करीब 11.30 बजे अपने निजी जमीन से जुड़े कार्य के सिलसिले में तहसील कार्यालय पहुंचे थे। इसी दौरान अचानक उनकी तबीयत बिगड़ गई और वे वहीं असहज होकर गिर पड़े।

घटना देखते ही मौजूद कर्मचारियों व अधिकारियों तथा वहां मौजूद लोगों में अफरा-तफरी मच गई। कोतरारोड थाना क्षेत्र के उच्चभट्ठी निवासी 71 वर्षीय बुजुर्ग जवाहर लाल चौधरी अपने निजी जमीन के काम से सोमवार सुबह करीब 11.30 बजे तहसील कार्यालय पहुंचे थे। तहसील परिसर में काम के दौरान बुजुर्ग की तबीयत अचानक खराब हो गई और वे असहज होकर वहीं गिर पड़े, जिससे परिसर में अफरा-तफरी मच गई। स्थिति की गंभीरता को देखते हुए प्रशासनिक अधिकारियों ने संवेदनशीलता दिखाई और बिना वक्त गंवाए बुजुर्ग को अपर कलेक्टर के शासकीय वाहन से जिला अस्पताल भेजा। अस्पताल पहुंचते ही डॉक्टरों ने प्राथमिक जांच के बाद बुजुर्ग को मृत घोषित कर दिया; पुलिस और प्रशासन मर्ग कायम कर पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतजार कर रहे हैं।कोतरारोड थाना पुलिस और प्रशासनिक अमला मामले में आवश्यक कानूनी औपचारिकताएं पूरी कर रहा है। डॉक्टरों के अनुसार, मौत के वास्तविक और सटीक कारणों का खुलासा पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही हो सकेगा।

मौत की वजह हार्ट अटैक हो सकता है

इस संबंध में सिविल सर्जन दिनेश पटेल ने बताया कि 12 बजे जवाहर चौधरी नामक व्यक्ति को लाया गया। उसकी हालत खराब था और उसके इलाज के लिए पूरी तरह कोशिश की गई। ब्रेन स्ट्रोक या मेजर हार्ट अटैक के कारण उसकी जान गई है। शव को पोस्टमार्टम के लिए रखवाया गया है। पीएम रिपोर्ट के बाद ही स्पष्ट खुलासा हो सकेगा।

न्यायालय नायब तहसीलदार एवं कार्यपालिक दण्डाधिकारी बलौदा जिला जांजगीर चांपा (छ.ग.)

ईश्तहार

रा.प्र.क./-/ वा./तह./2026
ग्राम-झपेली तहसील-बलौदा
जिला-जांजगीर चांपा (छ.ग.)

एतद् द्वारा समस्त जन को सूचित किया जाता है कि आवेदक रामप्यारे पिता/पति शिवचरण जाति ....निवासी झपेली तहसील बलौदा जिला-जांजगीर चांपा छ.ग. के द्वारा जन्म प्रमाण पत्र हेतु आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया है। आवेदक कि पुत्री राजकुमारी जन्म तिथि दिनांक 07/02/1973 को हुआ है। उक्त संबंध में जिस किसी व्यक्ति को किसी प्रकार की आपत्ति हो, तो वह अपना आपत्ति लिखित रुप में ईश्तहार के प्रकाशन दिनांक से 21/05/2026 के भीतर अधोहस्ताक्षरकर्ता के न्यायालय में स्वतः या किसी अधिवक्ता के माध्यम से दावा आपत्ति प्रस्तुत कर सकते है। निर्धारित तिथि के बाद दावा/आपत्ति पर कोई विचार नहीं किया जावेगा।

यह ईश्तहार मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालयीन मुद्रा से आज दिनांक 05/05/2026 को जारी किया गया।

मुहर **कार्यपालिक दण्डाधिकारी बलौदा**

न्यायालय नायब तहसीलदार-2 एवं कार्यपालिक दण्डाधिकारी बिलासपुर (छ.ग.)

// ईश्तहार//

क्रमांक/-/ना.तह./वा./2026
बिलासपुर दिनांक 13/05/2026

ग्राम जरहाभाठा के सर्व साधारण/आम जनता को सूचित किया जाता है कि ग्राम जरहाभाठा प.ह.न.-88 तहसील बिलासपुर स्थित भूमि ख.न. 95/2 रकबा 0.186 हे. एकड़ भूमि की नामांतरण/ फौतीनामांतरण वसीयत/ दान के लिए श्री सरोज कुमार सूर्यवंशी आ. स्व. भागवत प्रसाद निवासी कुदुदंड द्वारा आवेदन किया गया।

यदि किसी व्यक्ति /संस्था को किसी प्रकार की आपत्ति /दावा हो तो मेरे न्यायालय में दिनांक 28/05/26 को सुबह 11.00 स्वयं अथवा अपने प्राधिकृत अधिवक्ता के माध्यम से उपस्थित होकर आपत्ति/ दावा प्रस्तुत कर सकता है। समयावधि पश्चात प्राप्त दावा आपत्ति स्वीकार नहीं किए जावेगे।

आज दिनांक 13/05/2026 को मेरे पदमुद्रा एवं हस्ताक्षर से जारी।

नायब तहसीलदार बिलासपुर

पूर्व विधायक बांधी की पहल, पनभरिया तालाब में भी होगा गहरीकरण का कार्य

स्वदेश समाचार ■ मस्तूरी

धरती के नीचे गिरते जल स्तर को गम्भीरता से लेते हुए जल संरक्षण के उपाए अब तलाशे जा रहे है। जिसके लिए गावों में शासन प्रशासन मिलकर काम कर रहे है। इसी कड़ी में मस्तूरी के जनउपयोगी पनभरिया तालाब में भी गहरीकरण होगा साथ ही पूर्व विधायक डॉ कृष्णमूर्ति बांधी ने अच्छी पहल करते हुए इस तालाब में पहले से मौजूद ब? ब? पत्थर व बोल्डर को निकलवाने कमर कसी है जिसके लिए वे प्रशासन व जनसहयोग से इस काम को पूरा कराएंगे। दरअसल इस निस्तारी के महत्वपूर्ण तालाब में पथरीला इलाका होने की वजह से ही जगह जगह बड़े बड़े पत्थर है जिसके चलते जलभराव कम होता है, परन्तु अब गहरीकरण व पत्थरो के निकलने से तालाब में जलभराव ज्यादा होगा। साथ ही नहाने के समय जो शरीर में चोंट लगने का जो खतरा महसूस होता है उससे भी निजात मिलेगी। और लोग लम्बे समय तक निस्तारी कर सकेंगे। डॉ बांधी ने क्षेत्र के ग्रामीणों से इस बरसात के पहले जल संरक्षण के लिए गहरीकरण के काम में सहयोग करने की अपील की है। उन्होंने कहा कि जल संरक्षण और भू-जल स्तर को बढ़ाने के लिए तालाब सबसे प्राकृतिक और प्रभावी माध्यम हैं।

न्यायालय नायब तहसीलदार बिलासपुर (छ.ग.)

ईश्तहार

क्रमांक/-/ ना.तह./वा./2026
बिलासपुर, दिनांक 08/05/2026

ग्राम लछनपुर के सर्व साधारण/ आम जनता को सूचित किया जाता है कि ग्राम लछनपुर प.ह.नं.- 20 तहसील बिलासपुर स्थित भूमि ख.न.374/1,374/2 में से रकबा 0.178, 0.218 एकड़ भूमि की अभिलेख सुधार के लिए श्री गंगाराम साहू द्वारा आ. स्व. केजाराम साहू ने निवासी लछनपुर द्वारा आवेदन किया गया।

यदि किसी व्यक्ति /संस्था को किसी प्रकार की आपत्ति/ दावा हो तो मेरे न्यायालय में दिनांक 20/05/26 को सुबह 11.00 स्वयं अथवा अपने प्राधिकृत अधिवक्ता के माध्यम से उपस्थित हो कर आपत्ति/ दावा प्रस्तुत कर सकता है। समयावधि पश्चात प्राप्त दावा आपत्ति स्वीकार नहीं किए जावेगे।

आज दिनांक 08/05/2026 को मेरे पदमुद्रा एवं हस्ताक्षर से जारी।

नायब तहसीदार बिलासपुर

समक्ष नोटरी सिविल जिला बिलासपुर छ.ग.

शपथपत्र

मैं दिगंत तापस पिता स्व. एम. जी. तापस उम्र 45 वर्ष निवासी बी-10, नेहरू नगर बिलासपुर छ.ग. का हूं- जो निम्न लिखित कथन शपथपूर्वक करता हूं- 1/ यह कि मेरी पुत्री तृप्ति तापस जिनकी जन्म तिथि 25/11/2011 है, जिसका आधार कार्ड क्र. 890395596987 में उसका नाम तपस्या सिंगरौल त्रुटिवश अंकित हो गया है। 2/ यह कि मेरी पुत्री का जन्म प्रमाणपत्र में नाम तृप्ति तापस दर्ज है जो कि सही एवं सत्य है।
3/ यह कि मैं अपनी पुत्री का आधार कार्ड में तपस्या सिंगरौल के स्थान पर तृप्ति तापस सुधरवाना चाहता हूं। जिसके समर्थन में यह शपथ निष्पादित कर रहा हूं। इस बाबत यदि किसी को किसी भी प्रकार की आपत्ति हो तो 7 दिनों के अंदर संपर्क करें।

शपथकर्ता
दिगंत तापस

प्रारूप-(तीन)

शपथपत्र

मैं पार्वती कौशिक उम्र 19 साल पिता कृष्ण कुमार कौशिक निवासी वार्ड नं-1 नैला, भाठापारा तहसील जांजगीर जिला जांजगीर-चाम्पा (छ.ग.) एतद् द्वारा पूर्णतः पुष्टि करती हूं और निम्नानुसार घोषित करती हूँ -
01. मैं वार्ड क्रमांक 1 नैला, भाठापारा तहसील जांजगीर जिला जांजगीर-चांपा (छ.ग.) का स्थाई निवासिनी हूं।
02. मेरा पुराना नाम आधार कार्ड नंबर 7610 9083 4484 में पार्वती कश्यप (Parvati Kahsayap) पिता कृष्ण कुमार कश्यप (Krishna Kumar Kahsayap) लिखा हुआ हैं, जो कि गलत हैं।
03. यह कि आधार कार्ड नंबर 7610 9083 4484 में नाम परिवर्तन कर नया नाम पार्वती कौशिक (Parvati Koushik) पिता कृष्ण कुमार कौशिक (Krishna Kumar Koushik) करवाना चाहती हूं।
04. यह कि मेरा पुराने नाम में किसी भी न्यायालय में कोई आपराधिक प्रकरण लंबित नहीं हैं और न ही किसी बैंक ऋण की राशि शेष हैं।
05. यह कि मेरा पुराने नाम बदलकर मैं यदि कोई गैर कानूनी काम करती हूँ तो उसके लिए स्वयं जिम्मेदार रहूंगी।
06. मैं शपथपत्र अपने पूरे होशहवाश में रहकर हस्ताक्षर कर रही हूं तथा सक्षम अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत कर रही हूं।

शपथकर्ती
पार्वती कौशिक

Chola Enter a better life

चोलमंडलम इन्वेस्टमेंट एंड फाइनेंस कंपनी लिमिटेड
कॉर्पोरेट कार्यालयः चोला क्रेस्ट, सी54 और 55, सुपर बी-4, थिरुवी का औद्योगिक एस्टेट, गिंडी, चेन्नई- 600032, टी. एन.
ई-नीलामी बिक्री सूचना (केवल ई-बोली के माध्यम से बिक्री)

अचल सुरक्षित परिसंपत्तियों की बिक्री सूचना, सुरक्षा हित (प्रवर्तन) नियम 2002 के नियम 8(6) और 9(1) के तहत जारी की गई।

आम जनता को, और विशेष रूप से कॉलम (A) में उल्लिखित उधारकर्ता(ओं) और गारंटर(ओं) को सूचित किया जाता है कि कॉलम (C) में वर्णित अचल संपत्ति(संपत्तियां), जो सुरक्षित लेनदार चोलामंडलम इन्वेस्टमेंट एंड फाइनेंस कंपनी लिमिटेड के आवास के अधिकृत अधिकारी द्वारा कॉलम (D) में वर्णित अनुसार गिरवी/बंधक रखी गई है, जिसका कब्जा ले लिया गया है, उसे "जैसा है, जहां है", "जैसा है वैसा है" और "जो कुछ भी है" के आधार पर नीचे दिए गए विवरण के अनुसार बेचा जाएगा: कॉलम (A) में उल्लिखित संबंधित उधारकर्ता/गिरवीदार/गिरवीदार (मृतक) के कानूनी वारिस, कानूनी प्रतिनिधि (चाहे ज्ञात हों या अज्ञात), निष्पादक, प्रशासक, उत्तराधिकारी और असाइनियों को एतद्द्वारा सूचित किया जाता है। सुरक्षा हित (प्रवर्तन) नियम 2002 की धारा 8(6) के अनुसार। बिक्री के विस्तृत नियम एवं शर्तों के लिए, कृपया चोलामंडलम इन्वेस्टमेंट एंड फाइनेंस कंपनी लिमिटेड के सुरक्षित लेनदार की वेबसाइट https://www.cholamandalam.com और www.auctionfocus.in पर दिए गए लिंक देखें।

स. क्र.	[ए] ऋण खाता संख्या / उधारकर्ता/गिरवीदार/गारंटीदार के नाम	[बी] बकाया राशि जिसकी वसूली की जानी है (सुरक्षित ऋण)	[सी] अचल संपत्ति/सुरक्षित परिसंपत्ति का विवरण	[डी] कब्जे का प्रकार	[ई एंड एफ] आरक्षित मूल्य (रुपये में) / बयाना राशि (रुपये में)	[जी] नीलामी की तिथि और समय
1	ऋण खाता संख्या: LAP1RAI000059158 1. श्रीमान/श्रीमती अरमान गर्ग, 2. श्रीमान/श्रीमती सुनीता अग्रवाल, 3. श्रीमान/श्रीमती मंगेराम अग्रवाल (उर्फ) मंगेराम ऐड फॉर सर. नो. 1, 2 एंड 3 पत्थलगांव न.प जशपुर, छत्तीसगढ़ 496118, नियर वर्फ फैक्ट्री गली, जशपुर, छत्तीसगढ़ 496118 ऐड फॉर सर. नो. 3: वार्ड नो 05 पत्थलगांव एनपी पत्थलगांव जशपुर छत्तीसगढ़ जशपुर जशपुर छत्तीसगढ़ 496118 इंडिया. ऐड फॉर सर. नो. 1, 2 एंड 3: ख. नो. 87/21/ ख. नो. 87/21 मौजा-पत्थलगांव, प.ह.नो. 06, आर.न.एम. पत्थलगांव प.ह.नो. 06 पत्थलगांव पत्थलगांव जशपुर 496118 सी.जी. छत्तीसगढ़ नियर एसटी. जेवियर स स्कूल पत्थलगांव जशपुर 496118.	दिनांक 24-11-2025 को कुल राशि 23,47,026/- रुपये (केवल तेईस लाख सैंतालीस हजार छब्बीस रुपये) थी	खसरा संपत्ति संख्या-87/21, क्षेत्रफल-0.0090 हेक्टेयर, ग्राम पंचायत एन ब्लॉक-पथलगांव, पीएच संख्या-006, आर.एन.एम-पथलगांव, तहसील-पथलगांव, जिला जशपुर में स्थित। पूर्व में सरजूगा रोड, पश्चिम में मंतुलाल की भूमि, दक्षिण में केदार की भूमि और उत्तर में ग्रामीण रोड से घिरा हुआ है।	रचनात्मक कब्जा	40,11,200 रुपये (चालीस लाख ग्यारह हजार दो सौ रुपये मात्र) 4,01,120 रुपये (चार लाख एक हजार एक सौ बीस रुपये मात्र)	27-06-2026 दोपहर 2.00 बजे से शाम 4.00 बजे तक (निविदा दस्तावेज के अनुसार प्रत्येक बार 5 मिनट के स्वचालित विस्तार के साथ)
2	ऋण खाता संख्या: LAP4LAS000086567 1. श्रीमान/श्रीमती मुलचंद साहू, 2. श्रीमान/श्रीमती नीता साहू क्रमांक 1 एवं 2 के लिए जोड़ें: महंत पारा धनगांव गो धनगांव, मुंगेली छ.ग., सरकार के पास। एच.एस.स्कूल, बिलासपुर 2 (सीजीएच), छत्तीसगढ़ 495330 क्रमांक 1 और 2 के लिए जोड़ें-नया ख नंबर 153/6 पुराना नंबर 153/1 नया नंबर 153/6 मौजा धनगांव महंत पारा, फोन नंबर 34 जरगांव धनगांव मुंगेली मुंगेली, सरकारी स्कूल के पास, पुराना नंबर 153/1 नया नंबर 153/6, छत्तीसगढ़-495330।	दिनांक 31-12-2025 को कुल आय 20,19,686/- रुपये (बीस लाख उन्नीस हजार छह सौ छियासी रुपये मात्र) थी	खसरा क्रमांक 153/1 भाग, क्षेत्रफल 0.20 हेक्टेयर / 2180 वर्ग फुट, ग्राम धंगोअन (गो), पीएच क्रमांक 34, आर.एन.एम-जरहगोअन, सर्कल, तहसील और जिला-मुंगेली (गो), ग्राम पंचायत-धंगोअन में स्थित संपत्ति। उत्तर में दानदाताओं की शेष भूमि, दक्षिण में दादुराम का फार्म, पूर्व में कच्चा रास्ता और पश्चिम में रेखुराम का फार्म	रचनात्मक कब्जा	27,23,000 रुपये (सत्ताईस लाख तेईस हजार रुपये मात्र) 2,72,300 रुपये (दो लाख बहत्तर हजार तीन सौ रुपये मात्र)	27-06-2026 दोपहर 2.00 बजे से शाम 4.00 बजे तक (निविदा दस्तावेज के अनुसार प्रत्येक बार 5 मिनट के स्वचालित विस्तार के साथ)
	निरीक्षण की तिथि एवं समयः 25.06.2026, सुबह 11.00 बजे से शाम 4.00		बजे के बीच। न्यूनतम बोली वृद्धि राशिः 10,000 रुपये			
	सहभागिता हेतु निविदा/ईएमडी/अनुरोध पत्र जमा करने की अंतिम तिथिः 26.06.2026, शाम 5.00 बजे से पहले।					

* ऋण समझौते के अनुसार लागू ब्याज, आकस्मिक व्यय, लागत, शुल्क आदि सहित, भुगतान और/या प्राप्ति की तिथि तक हुए सभी खर्चों सहित। संपत्ति के निरीक्षण, बोली दस्तावेज प्राप्त करने और किसी अन्य प्रश्न के लिए, कृपया चोलमंडलम इन्वेस्टमेंट एंड फाइनेंस कंपनी लिमिटेड के अधिकारी गिरीश चंदवानी (मोबाइल नंबरः 7974048559 और ईमेल आईडीः girishc@chola.murugappa.com) या आशुतोष पटेल (मोबाइल नंबरः 9589227455 और ईमेलः ashutoshpa@chola.murugappa.com) से संपर्क करें। चोलमंडलम इन्वेस्टमेंट एंड फाइनेंस कंपनी लिमिटेड के अधिकृत अधिकारी के सर्वोत्तम ज्ञान और जानकारी के अनुसार, उपरोक्त अचल संपत्तियों/सुरक्षित परिसंपत्तियों पर कोई भार नहीं है।

हस्ता.
दिनांकः 18.05.2026 प्राधिकृत अधिकारी,
स्थानः जशपुर, मुंगेली, छत्तीसगढ़ चोलमंडलम इन्वेस्टमेंट एंड फाइनेंस कंपनी लिमिटेड के लिए

GRIHUM **गृहम हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड**
पंजीकृत कार्यालयः छठी मंजिल, बी बिल्डिंग, गंगा Trueno, लोहेगाँव, पुणे, महाराष्ट्र 411014 शाखा कार्यालय यूनिटः पहली मंजिल, इंदिरा टावर, विनोबा नगर, व्यापार विहार, बिलासपुर (CG), छत्तीसगढ़ -495001
ई-नीलामी-बिक्री सूचना SARFAESI अधिनियम के तहत सुरक्षित अचल संपत्ति की बिक्री

वित्तीय परिसंपत्तियों के प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण एवं सुरक्षा हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 ('अधिनियम') के नियम 8 एवं 9 के साथ पठित सुरक्षा हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 के अंतर्गत अचल परिसंपत्तियों की बिक्री हेतु ई-नीलामी बिक्री सूचना। इसके द्वारा आम जनता और विशेष रूप से उधारकर्ता/सह-उधारकर्ता/गिरवीदार/गारंटर को सूचित किया जाता है कि नीचे वर्णित अचल संपत्तियां, जो गृहम हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड (अधिनियम के अनुसार 'सुरक्षित लेनदार' के रूप में संदर्भित) के पास गिरवी रखी गई थीं, का कब्जा सुरक्षित लेनदार के अधिकृत अधिकारी द्वारा अधिनियम की धारा 13(12) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, सुरक्षा हित (प्रवर्तन) नियम के नियम 8 एवं 9 के साथ पठित, अधिनियम की धारा 13(2) के अंतर्गत जारी नोटिस के अनुसरण में ले लिया गया है। गिरवी रखी गई संपत्तियों की बिक्री 'जैसी है, जहां है', 'जैसी है वैसी ही' और 'जो भी उपलब्ध है' के आधार पर 19-06-2026 को ई-नीलामी के माध्यम से की जाएगी। आम जनता को सूचित किया जाता है कि हम वेबसाइट https://www.bankeauctions.com पर उपलब्ध ई-नीलामी प्लेटफॉर्म के माध्यम से सार्वजनिक नीलामी आयोजित करने जा रहे हैं। बिक्री के विस्तृत नियम और शर्तों के लिए, कृपया GHFL's/सुरक्षित लेनदार की वेबसाइट www.grihumhousing.com पर दिए गए लिंक को देखें।

सी. नं	प्रस्ताव संख्या ग्राहक का नाम (ए)	मांग सूचना दिनांक एवं बकाया राशि (बी)	स्वामित्व की प्रकृति (सी)	संपत्ति का विवरण (डी)	आरक्षित मूल्य (ई)	ईएमडी (आरपी का 10%) (एफ)	ईएमडी जमा करने की तिथि (जी)	वृद्धिशील बोली (एच)	संपत्ति निरीक्षण तिथि एवं समय (आई)	नीलामी की तिथि और समय (जे)	ज्ञात देनदारियां/ अदालती मामले (यदि कोई हो) (के)
1	ऋण संख्या HL0057 9000000005015627 गिरीश वर्मा (ऋणकर्ता) गीतांजलि कश्यप (सह-ऋणकर्ता)	सूचना दिनांक: 09-01-2026 कुल देय राशि: 1921497/- रुपये (उन्नीस लाख इक्कीस हजार चार सौ सत्तानवे रुपये मात्र) जो 09-01-2026 तक देय है, साथ ही वसूली तक 13.85% प्रति वर्ष की दर से ब्याज भी देय है।	भौतिक	भूमिस्वामी भूमि संपत्ति का पूरा भाग, जो ग्राम तखतपुर, पी.एच. संख्या 28, रा.नी.मान. तखतपुर, नगर पंचायत तखतपुर सीमा जनकपुर वार्ड संख्या 11, तहसील तखतपुर, जिला बिलासपुर (सी.जी.) में स्थित है, जिसका खसरा संख्या 784/1 टुकड़ा - 784/22 है, क्षेत्रफल 0.03% एकड़ = 0.0149 हेक्टेयर, भू-राजस्व 0.05 रुपये प्रति वर्ग फुट है। सीमा चिह्न - पूर्व - 60 फीट शेष भूमि, पश्चिम - 60 फीट शेष भूमि, उत्तर - 26.8 फीट पटेल की भूमि और दक्षिण - 26.8 फीट निस्तारी रास्ता।	रु. 2852500/- (अट्ठाईस लाख बावन हजार पांच सौ रुपये मात्र)	रु. 2852500/- (दो लाख अस्सी पांच हजार दो सौ पचास रुपये मात्र)	18-06-2026 शाम 5 बजे से पहले	10,000/-	10-06-2026 (सुबह 11 बजे से शाम 4 बजे तक)	19-06-2026 (सुबह 11 बजे से दोपहर 2 बजे तक)	शून्य

इच्छुक बोलीदाताओं/खरीदारों को सलाह दी जाती है कि वे सुरक्षित लेनदार शाखा और नीलामी वाली संपत्तियों का दौरा करें, स्वयं पूछताछ करें और अतिरिक्त शुल्कों, भारों और किसी भी तृतीय-पक्ष हितों का पता लगाएं और बोली जमा करने से पहले सभी पहलुओं से स्वयं को संतुष्ट कर लें। संपत्ति कर, बिजली/पानी के बिल और संपत्ति से जुड़े किसी भी अन्य बकाया जैसे सभी वैधानिक देय राशियों का पता लगाकर सफल बोलीदाता द्वारा भुगतान किया जाना आवश्यक है। इच्छुक बोलीदाताओं को पोर्टल पर अपना पंजीकरण कराना होगा और नीलामी सेवा प्रदाता (सी1 इंडिया प्राइवेट लिमिटेड) से लॉगिन आईडी और पासवर्ड पहले से प्राप्त करना होगा, जो ई-बोली के लिए अनिवार्य है। पता- प्लॉट नंबर-68, तीसरी मंजिल, गुड़गांव, हरियाणा-122003। हेल्पलाइन नंबर- 7291981124,25,26। ईमेल आईडी- Support@bankeauctions.com। संपर्क व्यक्ति - धनी पी, ईमेल आईडी - dharani.p@cvindia.com, संपर्क नंबर - 9948182222। कृपया ध्यान दें कि इच्छुक बोलीदाता केवल इन्हीं से ई-नीलामी पर ऑनलाइन प्रशिक्षण प्राप्त कर सकते हैं। इच्छुक खरीदार/बोलीदाता को 'गृहम हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड - नीलामी आय खाता' में एनईएफटी/आरटीजीएस/डीडी के माध्यम से बयाना राशि (ईएमडी) जमा करनी होगी। बैंक - आईसीआईसीआई बैंक लिमिटेड। खाता संख्या- 091551000028 और आईएफएससी कोड- ICIC0000915, ICICI बैंक लिमिटेड, पंचशील टेक पार्क, गणपति चौक के पास, 43/44 विमान नगर - 411014, किसी भी राष्ट्रीयकृत या अनुसूचित बैंक पर 18-06-2026 को या उससे पहले आहरित किया गया हो, और अपना नाम https://www.bankeauctions.com पर पंजीकृत करें और निशुल्क यूजर आईडी और पासवर्ड प्राप्त करें तथा सेवा प्रदाता से ई-नीलामी का प्रशिक्षण प्राप्त करें। वेबसाइट पर पंजीकरण के बाद, इच्छुक क्रेता/बोलीदाता को निम्नलिखित दस्तावेजों की प्रतियां अपलोड करनी होंगी, ईमेल करनी होंगी और स्व-सत्यापित हार्ड कॉपी निम्नलिखित पते पर भेजनी होंगी: प्रथम मंजिल, इंदिरा टावर, विनोबा नगर, व्यापार विहार, बिलासपुर (सीजी), छत्तीसगढ़ -495001 मोबाइल नंबर। +91 8281138143 ईमेल आईडी p.adith@grihumhousing.com। नियमों और शर्तों के बारे में अधिक जानकारी के लिए कृपया https://www.bankeauctions.com और www.grihumhousing.com पर जाएं और ई-नीलामी में भाग लें।

यह सूचना सुरक्षा हित (प्रवर्तन) नियम-2002 के नियम 8(6) के तहत उधारकर्ता/सह-उधारकर्ता/गिरवीदार/गारंटर को 30 दिन (तीस) की सूचना भी मानी जाएगी।

किसी भी स्थिति में यदि स्थानीय भाषा में प्रकाशित सामग्री और अंग्रेजी समाचार पत्र में प्रकाशित सामग्री में कोई अंतर हो, तो चॉइस टाइम्स में प्रकाशित अंग्रेजी समाचार पत्र की सामग्री ही मान्य होगी।

दिनांक: 19.05.2026 स्थान : बिलासपुर (छ.ग.) हस्ताक्षर/- अधिकृत अधिकारी, गृहम हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड